

हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रात्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/भारपीट करने के गभीर आरोप हो/भेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शाराकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) उ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सौभारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के तपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।


9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जाँडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में राठवद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।


PRINCIPAL
Govt. Deu Kalyan Arts & Commerce
Post Graduate College, Baloda Bazar
Distt. Baloda Bazar-Bhatapara (C. G.)

11. अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व रात्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एकीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।


12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक रात्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा विन्ती शैक्षणिक संस्था में इराका विरतार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुरूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से वारह प्रतिशत सीटें अनुरूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुरूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुरूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।



PRINCIPAL
Govt. Dau Kalyan Arts & Commerce
Post Graduate College, Baloda Bazar
Distt. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परसूक्त में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इंस अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.3 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कर्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पैटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर निर्यातियों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पत्र क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल तीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में धारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in green ink

PRINCIPAL
Govt. Deu Kalyan Arts & Commerce
Post Graduate College, Baloda Bazar
Dist. Baloda Bazar, Bhatnagar, C.O.

cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाये।

11. निम्न :-

अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एक 13-1/2023/आ.प्र. /1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।


13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् वाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढा जाये।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संघालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(व) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉन्टिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केंड्रेट	10 प्रतिशत
(ड) इयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केंड्रेट	10 प्रतिशत


PRINCIPAL
Govt. Dsu Kalyan Arts & Commerce
Post Graduate College, Baloda Bazar
Dist. Baloda Bazar-Bhatarpora (C.G.)

शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

क्र.	महाविद्यालय में संचालित विषय / कक्षा		वर्गवार सीटों की संख्या					
			2022-24	GEN	OBC (14%)	SC (12%)	ST (32%)	TOTAL
1	B.A.	(Hindi Lt., Eng. Lt., Socio, Econo, Psycho, History, Geog, Political Science)	260	110	36	31	83	260
2	B.Com		140	58	20	17	45	140
3	B.Sc.	Bio (Chem, Bot, Zoo)	160	68	22	19	51	160
		Maths (Maths, Phy, Chem)	120	51	17	14	38	120
		Info. Technology (Maths, IT, Phy/Chem)	33	13	5	4	11	33
		Biotech (Biotech, Chem, Bot/Zoo)	30	12	4	4	10	30
4	B.Sc. (Computer Science)		40	16	6	5	13	40
5	B.C.A.		30	12	4	4	10	30
6	D.C.A.		20	9	3	2	6	20
7	LLB		80	33	11	10	26	80
8	M.A.	Hindi	30	12	4	4	10	30
		Pol. Science	30	12	4	4	10	30
		Sociology	30	12	4	4	10	30
		English	30	12	4	4	10	30
		Economics	30	12	4	4	10	30
		Geography	30	12	4	4	10	30
9	M.Sc	Mathematics	40	16	6	5	13	40
		Chemistry	30	12	4	4	10	30
		Botany	30	12	4	4	10	30
		Info. Technology	20	9	3	2	6	20
		Zoology	20	9	3	2	6	20
10	L.L.M.		20	9	3	2	6	20
11	M.Com		30	12	4	4	10	30
12	P.G.D.C.A.		60	26	8	7	19	60
Total			1343	559	187	164	433	1343

A.R. Sharma
PRINCIPAL

Govt. Dau Kalyan Arts & Commerce
Post Graduate College, Baloda Bazar
Distt. Baloda Bazar-Bhatapera (C.G.)